

भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *368 जिसका उत्तर
गुरुवार, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

*368. श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सरकार ने देश में प्रमुख पत्तनों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को कितना हासिल किया है;
- (ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान देशभर में उक्त पत्तनों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा अथवा सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से मुहैया कराई गई धनराशि का राज्य-वार एवं पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त पत्तनों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण में अनियमितताओं के ऐसे मामलों का राज्य-वार एवं पत्तन-वार ब्यौरा क्या है जो उक्त अवधि के दौरान सरकार के ध्यान में आये; और
- (घ) पत्तनों का समय पर विस्तार तथा आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने और अनियमितताओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“पत्तनों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण” के संबंध में श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा उठाए गए दिनांक 19 मार्च, 2020 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 368 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

(क) भारत सरकार ने देश के महापत्तनों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की दिशा में संगठित प्रयास किए हैं। महापत्तनों द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान संभाला गया कुल यातायात 699.10 मिलियन टन (एमटी) रहा जबकि इनकी क्षमता 1514.09 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) है। पिछले पांच वर्षों के दौरान विस्तृत पत्तनवार क्षमता और यातायात में वृद्धि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों की कार्गो संभलाई क्षमता निरंतर बढ़ी है। महापत्तनों पर अवसंरचना परियोजनाओं का वित्त पोषण अधिकांशतः निजी निवेशों (पीपीपी परियोजनाएं) या पत्तनों के स्व-संसाधनों (आईईबीआर) के माध्यम से किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में फरवरी, 2020 तक विभिन्न महापत्तनों द्वारा 13764.36 करोड़ ₹ की कुल लागत वाली कई अवसंरचना विकास परियोजनाएं सौंपी गई है। इन परियोजनाओं का राज्यवार एवं पत्तनवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान महापत्तनों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण में कोई अनियमितताएं सामने नहीं आई हैं।

(घ) भारत सरकार ने पत्तनों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की परियोजनाओं की परिकल्पना के संबंध में व्यवहारिकता रिपोर्ट / डीपीआर तैयार करने से लेकर कमीशनिंग और वाणिज्यिक प्रचालनों की शुरुआत तक उचित तंत्र स्थापित किया है। इन परियोजनाओं की संबंधित पत्तनों के साथ-साथ मंत्रालय में भी विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी की जाती है ताकि इनका समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जा सके। महापत्तन सौंपी जाने वाली परियोजनाओं पूरी की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में मंत्रालय को यथा स्थिति मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिनकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

क. पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी महापत्तनों की कार्गो संभलाई क्षमता नीचे दी गई है:

(एमटीपीएम)

| महापत्तन | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| कोलकाता डॉक प्रणाली | 21.10 | 21.10 | 26.21 | 31.57 | 31.57 |
| हल्दिया डॉक प्रणाली | 49.75 | 65.89 | 69.89 | 51.00 | 51.00 |
| पारादीप | 119.80 | 126.94 | 143.44 | 239.00 | 239.00 |
| विशाखापट्टणम | 96.76 | 107.75 | 110.75 | 131.09 | 131.09 |
| कामराजार (एन्नौर) | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 84.00 | 91.00 |
| चेन्नई | 86.04 | 93.44 | 93.44 | 134.00 | 134.00 |
| वी.ओ. चिदम्बरनार | 44.55 | 59.26 | 65.90 | 94.83 | 111.46 |
| कोचीन | 49.66 | 49.66 | 56.57 | 74.50 | 78.60 |
| नव मंगलूर | 77.77 | 77.77 | 87.63 | 98.00 | 98.00 |
| मुरगांव | 43.76 | 48.79 | 50.04 | 63.00 | 63.40 |
| मुंबई | 44.53 | 49.33 | 65.33 | 79.00 | 79.00 |
| जेएनपीटी | 79.37 | 89.37 | 89.37 | 118.00 | 138.87 |
| दीनदयाल | 121.43 | 131.06 | 150.26 | 253.20 | 267.10 |
| कुल: | 871.52 | 965.36 | 1065.83 | 1451.19 | 1514.09 |

टिप्पणी: मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बर्थिंग नीति के आधार पर महापत्तनों की क्षमता पुनःनिर्धारित की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान कुल पुनःनिर्धारित क्षमता 1359 एमटीपीए थी।

ख. पिछले पांच वर्षों प्रत्येक महापत्तन के यातायात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(एमटी में)

| महापत्तन | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| कोलकाता डॉक प्रणाली | 15.28 | 16.78 | 16.81 | 17.39 | 18.55 |
| हल्दिया डॉक प्रणाली | 31.01 | 33.51 | 34.14 | 40.50 | 45.21 |
| पारादीप | 71.01 | 76.39 | 88.96 | 102.01 | 109.28 |
| विशाखापट्टणम | 58.00 | 57.03 | 61.02 | 63.54 | 65.30 |
| कामराजार (एन्नौर) | 30.25 | 32.21 | 30.02 | 30.45 | 34.50 |
| चेन्नई | 52.54 | 50.06 | 50.21 | 51.88 | 53.01 |
| वी.ओ. चिदम्बरनार | 32.41 | 36.85 | 38.46 | 36.58 | 34.34 |
| कोचीन | 21.60 | 22.10 | 25.01 | 29.14 | 32.02 |
| नव मंगलूर | 36.57 | 35.58 | 39.95 | 42.06 | 42.51 |
| मुरगांव | 14.71 | 20.78 | 33.18 | 26.90 | 17.68 |
| मुंबई | 61.66 | 61.11 | 63.05 | 62.83 | 60.59 |
| जेएनपीटी | 63.80 | 64.03 | 62.15 | 66.00 | 70.71 |
| दीनदयाल | 92.50 | 100.05 | 105.44 | 110.10 | 115.40 |
| कुल: | 581.34 | 606.47 | 648.40 | 679.37 | 699.10 |

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2020 तक) के दौरान सौंपी गई महापत्तन परियोजनाओं की निधियों / निवेशों का विवरण

| महापत्तन | परियोजना | निवेश (करोड़ रू० में) | क्षमता (एमटीपीए में) |
|------------------------|----------|--------------------------|----------------------|
| गुजरात | | | |
| दीनदयाल पत्तन | 13 | 1816.50 | 18.68 |
| महाराष्ट्र | | | |
| मुंबई पत्तन | 12 | 765.57 | 0.90 |
| जवाहरलाल नेहरू पत्तन | 11 | 4014.63 | 23.87 |
| गोवा | | | |
| मुरगांव पत्तन | 7 | 86.67 | 0.40 |
| कर्नाटक | | | |
| नव मंगलूर पत्तन | 7 | 380.79 | 6.01 |
| केरल | | | |
| कोचीन पत्तन | 6 | 41.78 | 0 |
| तमिलनाडु | | | |
| वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन | 10 | 1076.87 | 9.00 |
| चेन्नई पत्तन | 5 | 189.15 | 2.10 |
| कामराजार पत्तन | 10 | 606.34 | 40.94 |
| आंध्र प्रदेश | | | |
| विशाखापट्टणम पत्तन | 10 | 1122.42 | 6.48 |
| ओडिशा | | | |
| पारादीप पत्तन | 6 | 1632.02 | 15.75 |
| पश्चिम बंगाल | | | |
| कोलकाता पत्तन | 16 | 2031.62 | 8.63 |
| कुल | 113 | 13764.36 | 132.76 |
